कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंड़ल, सिकहरना, ढाका।

पत्रांक – 744....../सिकहरना, ढ़ाका, दिनांक–02/06/2022

सेवा में,

अरुण कुमार,
अम्बरिया रुपहारा, चिरैया
पूर्वी चम्पारण।

विषय :– पुनरीक्षित कार्यादेश के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–94 दिनांक–30.05.2022 एंव अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–2074 दिनांक–05.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–94 दिनांक–30.05.2022 के द्वारा MR-3054 अन्तर्गत ढ़ाका से पकड़ीदयाल तक पथ निर्माण कार्य आपको आबंटित हुआ था, जिसका एकरारनामा आपके द्वारा दिनांक–17.03.2017 को किया गया था। मुख्य अभियंता–3 के प्रासंगिक पत्र के द्वारा पुनरीक्षित परिमाण विपत्र का तकनीकि स्वीकृति प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में किये गये एकरारनामा के शशि में आवश्यक संशोधन कर उक्त कार्य को दिनांक–02.06.2022 से प्रारंभ का निर्धारित अवधि दिनांक–01.07.2022 तक समाप्त करने हेतु पुनरीक्षित कार्यादेश दिया जाता है।

अतः आप संबंधित कनीय अभियंता एंव सहायक अभियंता के देख–रेख में उक्त कार्य को मानक विशिष्टियों के अनुरुप निर्धारित अवधि में सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 2.6.22

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंड़ल,
सिकहरना, ढाका।

ज्ञापांक– 744 / दिनांक– 02/06/2022

प्रतिलिपि :– संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य अपनी देख रेख में विशिष्टियों के अनुरुप सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 2.6.22

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंड़ल,
सिकहरना, ढाका।

Arun Kumar

RWD, Dhaka

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

AP 552850

जिला कोषागार

बिहार BIHAR

2 5 MAY 2022

हरीय कोषागार पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

Supplementary Agreement

Agreement No……..21 MBD/ R.W.D. Dhaka/3054(MR) 2016-17

This agreement, made the _____day of _______________20________,
Between Executive Engineer RWD (W) Div. , Dhaka of the one part, and **Arun Kumar, Ambariya, Ruphara, Chiraiya, Dist- East Champaran** of the another part. Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction of **Dhaka to Pakridayal Under 3054(MR)** and the employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of **Rupees 74,86000.00 (Rupees Seventy four Lac Eighty Six Thousand) Only**

NOW THIS REVISED AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Revised Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.

2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute

Arun Kumar

Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division, Dhaka
02/06/22

Scanned with CamScanner

CE-03, RWD, Bihar, Patna, Letter No.-94/ Dated -30.05.2022 SBD No.-..............
.... Has been revised

Name of Contractor :- **Arun Kumar, Ambariya, Ruphara, Chiraiya, Dist- East Champaran**

Name of Work :- **3054(MR) के अधीन Dhaka to Pakridayal तक पथ निर्माण कार्य।**

Previous Agreement Value :- Rs.

Supplementary Agreement Value :- Rs. 74,86000.00 (Rupees Seventy four Lac Eighty Six Thousand)

Performance Security & Add. PS. – (Required Amount)

Submitted By Contractor Rs. (Amount) –

Rate :-

Date of Work Order :- 02.06.2022

Revised BOQ Item of Work :-

Contract Date of Completion :- 01.07.2022

Arun Kumar

2.6.22
Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division. Dhaka
02/06/22
02/06/22

Scanned with CamScanner

मुख्य अभियंता –3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांकः– II/मु0अ0–3,त0स्वी0–07–20/22 पटना दिनांकः–

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रमीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **मोतिहारी।**

विषयः– **शीर्ष नई अनुरक्षण नीति 2018 (3054) योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, ढ़ाका के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 01 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः–आपका पत्रांक–418 अनु0 दिनांक–20.05.2022 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का पत्रांक–2074 अनु0 दिनांक–05.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, **ढ़ाका** के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न हैः–

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)	FDR Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)
1.	Dhaka	ढ़ाका से पकड़ीदयाल पथ	8.00	5107/20.12.16	372.552	445.66	74.869

2. निर्माण कार्य 3054 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेगें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरुप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरुपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिकत मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **मोतिहारी** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के

Arny Kumar

Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division, Dhaka

2.6.22
02/06/22
02/06/22

Scanned with CamScanner

दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **मोतिहारी** को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लेगें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनु0– स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/–
मुख्य अभियंता–3, पटना

ज्ञापांकः– 94 पटना, दिनांकः– 30-5-22

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **ढ़ाका** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

30/5/22
मुख्य अभियंता–3, पटना

Scanned with CamScanner